कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 3880 / 33–1 / दिनांक, जून, 06 ,2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन, सा0वा0 वन प्रभाग, उरई।

विषयः– जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल येाजना के अधीन शिवपुरी– भोगनीपुर राज्य मार्ग, उरई–राठ मार्ग, उरई– औरैया मार्ग, एट–पचोखरा मार्ग, कोंच–नदीगांव मार्ग के किनारे प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि 4.7727 के प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Water/155109/2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ–
1. आपका पत्रांक– 2280/33–1, दिनांक 28.05.2022।
2. इस कार्यालय का पत्रांक– 3807/33–1, दिनांक– 01.06.2022।
3. आपका पत्रांक–2351/33–1, दिनांक 06.06.2022।

महोदय,

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 01.06.2022 द्वारा विषयक प्रकरण में परीक्षोपरान्त कुछ कमियां लगाई गई थी। आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 06.06.2022 द्वारा संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया जो अपूर्ण है तथा लगाई गई आपत्तियों का सम्पूर्ण निराकरण नहीं किया गया। यह अत्यंत खेदजनक है।

1. प्रस्ताव की पत्रावली की विषय सूची एवं पत्रावली के प्रत्येक पेज पर पेज संख्या अंकित नहीं की गई है। अंकित कर पुनः प्रेषित किया जाये।
2. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी एट व कोंच के पदनाम की मोहर नहीं लगी है। मोहर अंकित कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. परियाजना में क्षतिपूरक वृक्षोरापण के छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्रांक– FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 का भली भांति अध्ययन करते हुये तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु आप द्वारा नहीं किये गये। अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु पेयजल पाईप लाईन के प्रकरणों में उपरोक्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.07.2020 के अनुसार यदि Road Side within ROW of existing roads में trench size not more then two meter in depth and one meter in width में पाईप लाईन विछाया जाना प्रस्तावित है तो सी0ए0 से छूट है। अतः तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, उरई द्वारा सी0ए0 की छूट का प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा प्रस्ताव से सी0ए0 का प्राक्कलन प्रथक करें।
4. ऑनलाईन भाग–2 के कमांक 13 में अपलोड किया गया सी0ए0 की धनराशि, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जीओ रिफ्रेन्स डिजिटल मैप, एस0ओ0आई0 टोपो सीट एवं के0एम0एल0 फाईल तथा उससे सम्बन्धित विवरण को डिलीट करें।
5. लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र या बचनवद्धता संलग्न नहीं है। कृपया संलग्न करें।
6. संरक्षित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा प्रमाणित गजट की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। कृपया संलग्न करें।
7. जिलाधिकारी, जालौन द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी, की मोहर लगवाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. प्रभागीय वनाधिकारी,उरई द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अंकित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु आप द्वारा अंकित नहीं किया गया। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कमियों का ऑन लाईन व ऑफलाईन निराकरण/संशोधन करते हुये सी0डी0 व पेनड्राईव में तदनुसार डाटा अपलोड करते हुये। उक्त प्रस्ताव की चार प्रतियां (मूल में) वापस की जा रही है।

संलग्नक– प्रस्ताव चार प्रतियों में।

भवदीय

(पी0पी0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

June . _2022_Still